कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

–:0 निर्देश 0:–

क्रमांक / 1157 / सां.लि. / COVID-19 / 2020 दन्तेवाडा दिनांक 28/09/2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए **नवरात्र पर्व** के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1 मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6X5 फिट से अधिक न हो ।

2 मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15X15 फिट से अधिक न हो ।

3 पंडाल के सामने कम से कम 3000 वर्गफिट की खुली जगह हो ।

4 पंडाल एवं सामने 3000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो ।

5 एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी 250 मीटर से कम न हो ।

6 मंडप / पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे ।

7 किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो ।

8 मूर्ति स्थापना करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम तथा मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके ।

9 मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगायेंगे, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके ।

10 मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा । ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

11 मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी । थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल मे प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी ।

12 व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस–बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा ।

13 यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा ।

14 कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी । यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी ।

15 मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भण्डारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी ।

16 मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी ।

17 मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी ।

18 मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी ।

19 मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा ।

20 मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज–सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी ।

...2...

Collector
Dakshin Bastar
DANTEWADA (C.G.)

21 मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेगे । पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

22 मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन को पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी ।

23 विसर्जन के लिए नगरपालिका/नगर पंचायत द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि एवं समय का पालन करना होगा । शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

24 विसर्जन के मार्गो में कहीं भी स्वागत, भण्डारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी ।

25 सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी ।

26 मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् भजन मंडली के कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी ।

27 उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है, तो कम से कम 7 दिवस पूर्व नगरपालिका/नगर पंचायत के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी ।

28 पंडालों के लिए पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत् जो आवेदन पहले प्राप्त होगा उसे पहले प्राथमिकता दिया जावेगा ।

29 इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा ।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./1158/सां.लि./COVID-19/2020 दन्तेवाड़ा दिनांक 28/09/2020

प्रतिलिपि :-

1 आयुक्त, बस्तर-संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2 पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

3 पुलिस अधीक्षक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4 अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5 समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6 निरीक्षक, यातायात दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7 सर्व थाना प्रभारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8 उप संचालक, जनसपर्क जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा